

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य
 उपस्थित हैं एवं अनुपस्थित सदस्य के शौ से
 प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है। प्रथम पक्ष के
 अनुपस्थित सदस्य के शौ से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन
 की गई है। प्रस्तावित पदाधिकारी पत्र कार्य में व्यस्त हैं।
 अभिलेख दिनांक 30-01-18 को रखा।

अनुपस्थित

30-01-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित सदस्य
 के शौ से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है।

Six months have elapsed since
 the initiation of proceedings.
 The proceedings may be dropped.

1
 30/1/18.